

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1116 सन 2020

अनवान :-

1. संदीप कुमार पुत्र रामकिशन जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रामकिशन पुत्र अमरसिंह जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर।
2. पहाडसिंह पुत्र रामकिशन जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर।
3. बलवीरसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर।
4. प्रहलाद सिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर।
5. श्रवण कुमार पुत्र बलवीरसिंह जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर।
6. श्योराम पुत्र अमरसिंह जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर।
7. जयप्रकाश पुत्र श्योराम जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर।
8. मैनावती पुत्री श्योराम जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर।
9. भोमाराम पुत्र स्व अमरसिंह जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर।
10. भीमराज पुत्र स्व अमरसिंह जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर।
11. अनदेई पुत्री स्व अमरसिंह जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर।
12. भागवन्ती देवी पुत्री रामकिशन जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर।
13. रोशनी देवी पुत्री रामकिशन जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर।
14. कलावती देवी पुत्री रामकिशन जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिथत : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 25/2/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 2/2 की 18.8790 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा अमरसिंह पुत्र दुनीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी के दादा अमरसिंह पुत्र दुनीराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया एवं पुत्र/पुत्रीयों के वारिसान है अर्थात् अमरसिंह पुत्र दुनीराम के नाम से दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के हक हिस्सा की भूमि है अर्थात् अमरसिंह पुत्र दुनीराम के नाम से दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 8 वादी की बहन एवं श्योराम प्रतिवादी संख्या 6 की पुत्री है तथा प्रतिवादी संख्या 11 ता 14 अमरसिंह एवं रामकिशन की पुत्री एवं वादी की बहन है प्रतिवादी संख्या 8 ,11 ता 14 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,9 ,10 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,9 ,10 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

(2)

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की अमरसिह जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,9 ,10 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि उसके पिता अमरसिह पुत्र दुनीराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है अमरसिह पुत्र दुनीराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 है जो अमरसिह की भूमि विरास्तन से अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ,11 ता 14 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,9 ,10 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,9 ,10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,9 ,10 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 15 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।


वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 2/2 की 18.8790 हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा अमरसिह पुत्र दुनीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी के दादा अमरसिह पुत्र दुनीराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया एवं पुत्र/पुत्रीयों के वारिसान है अर्थात अमरसिह पुत्र दुनीराम के नाम से दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के हक हिस्सा की भूमि है अर्थात अमरसिह पुत्र दुनीराम के नाम से दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 8 वादी की बहन एवं श्योराम प्रतिवादी संख्या 6 की पुत्री है तथा प्रतिवादी संख्या 11 ता 14 अमरसिह एवं रामकिशन की पुत्री एवं वादी की बहन है प्रतिवादी संख्या 8 ,11 ता 14 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,9 ,10 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,9 ,10 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।



हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 2/2 की 18.8790 हैक्ठु भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि अमरसिंह पुत्र दुनीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी के दादा अमरसिंह पुत्र दुनीराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया एवं पुत्र/पुत्रीयों के वारिसान है अर्थात् अमरसिंह पुत्र दुनीराम के नाम से दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के हक हिस्सा की भूमि है अर्थात् अमरसिंह पुत्र दुनीराम के नाम से दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के हक हिस्सा की भूमि है तथा है प्रतिवादी संख्या 8 ,11 ता 14 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,9 ,10 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,9 ,10 का बराबर का हक हिस्सा है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 8 ,11 ता 14 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,9 ,10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 8, 11 ता 14 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 2/2 की कुल 18.8790 हैक्ठु भूमि जो मृतक अमरसिंह के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 बहिब 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 6 ,7 बहिब 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 9 ,10 ~~बहिब 1/5~~ हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/02/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

- 1 संदीप कुमार पुत्र रामकिशन जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

- 1 रामकिशन पुत्र अमरसिंह जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर।
- 2 पहाडसिंह पुत्र रामकिशन जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर।
- 3 बलवीरसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर।
- 4 प्रहलाद सिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर।
- 5 श्रवण कुमार पुत्र बलवीरसिंह जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर।
- 6 श्योराम पुत्र अमरसिंह जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर।
- 7 जयप्रकाश पुत्र श्योराम जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर।
- 8 मैनावती पुत्री श्योराम जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर।
- 9 भोमाराम पुत्र स्व अमरसिंह जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर।
- 10 भीमराज पुत्र स्व अमरसिंह जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर।
- 11 अनदेई पुत्री स्व अमरसिंह जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर।
- 12 भागवन्ती देवी पुत्री रामकिशन जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर।
- 13 रोशनी देवी पुत्री रामकिशन जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर।
- 14 कलावती देवी पुत्री रामकिशन जाति जाट साकिन नहराना तहसील नोहर।
- 15 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1116 सन 2020 निर्णय दिनांक- 25/2/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कौचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निषटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 2/2 की कुल 18.8790 हैक्ठु भूमि जो मृतक अमरसिंह के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 बहिब 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 बहिब 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6, 7 बहिब 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9, 10 ~~बहिब~~ ^{बहिब} 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/2/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)